निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 51 / 2022 (रसद अपील)

शब्बीर हुसैन प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार, दुकान संख्या 179, जयपुर शहर जिला जयपुर, पोस मशीन 4239 ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 958 / 2022 आदेश दिनांक 10.10.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 179 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000 / —रुपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय   दिनांक 09.02.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी शब्बीर हुसैन प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार उचित मूल्य दुकान संख्या 179 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित हो कर अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तलब रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 179 जयपुर शहर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक

जिला कलक्टर
जयपुर

यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डों पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 18.07.2022 को पूजा शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक ने जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर जुलाई माह का वितरण शून्य है, यानि जुलाई माह में वितरण नहीं किया गया । उक्त रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निवेदन किा कि उसके हार्ट अटैक आया गया था तथा उसका आपरेशन हुआ है तथा तबीयत खराब होने से अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान उसका पुत्र सम्भालता है। दिनांक 1.08.2022 को श्री राजेश कुमार टांक प्रवर्तन निरीक्षक ने जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान जो कि निलम्बित है तथा अस्थायी रूप से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान नम्बर 178 को पोश मशीन सम्भला दी है, जबकि पोश मशीन में दर्ज स्टॉक अपीलार्थी को उपलब्ध ही नहीं कराया गया । दुकान में पोश मशीन के अनुसार खाद्यान्न अन्य सहायता (चना) 24 किलोग्राम, अन्य सहायता गेहूं 630 किलोग्राम, गेहूं अतिरिक्त NFSA 2556, दाल (NFSA) मय गेहूं ए पी एल, बी पी एल, एसबीपीएल व अन्यत्योदय) 5583 किलो, केरोसीन 3 लीटर था। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 16.08.2022 को अपीलार्थी को पुनः कारण बाताओ नोटिस जारी किया जिसमें उक्त अनियतिता का उल्लेख किया गया । दिनांक 01.09.23022 को अपीलार्थी, जिला रसद अधिकारी के यहां उपस्थित हुआ तथा जबाब प्रस्तुत करने हेतु मौका चाहा। तत्पश्चात दिनांक 10.10.2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने आलौच्य आदेश पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया। दिनांक 18.07.2022 व 01.08.2022 की रिपोर्ट जो प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को पेश की गई वह पूर्णरूप से अवैद्य व मनमानी है । उक्त निरीक्षकों ने न तो अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया और ना ही मौके पर कोई फर्द बनाई यहां तक कि उक्त दोनों प्रवर्तन निरीक्षकों ने आदेश 1976 के खण्ड 24 के अन्तर्गत ना तो अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया ना तलाशी ली, यहां तक कि प्रवर्तन निरीक्षकों ने खण्ड 24 (4) के तहत दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 100 के प्रावाधनों का पालन नहीं किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्यवाही करते समय मौहल्ले (लोकैलिटी) के दो स्वतंत्र व मौतबीर गवाह कार्यवाही के समय उपस्थित होने चाहिये । उक्त दानों प्रवर्तन निरीक्षकों ने ना तो अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण का कोई फर्द मौका बनाया और ना ही उस पर स्वतंत्र व मौतबीर गवाह के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 17.08.2022 व 01.108.2022 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के उक्त रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए अपीलार्थी उक्त दोनों रिपोर्ट से पाबन्द नहीं है तथा रिपोर्ट अनाधिकृत है। दिनांक 31.08.2022 का अपीलार्थी की उचित मूल्य

जिला कलक्टर
जयपुर

दुकान की पोश मशीन, दुकान नम्बर 178 को सम्भला दी गई थी। इसलिए दिनांक 01.08.2022 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक पोस मशीन के अनुसार था, लेकिन जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी को दिनांक 16.08.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ पोस मशीन की डिटेल (विवरण) नहीं दी । अपीलार्थी बिना पोस मशीन की डिटेल के अपना जबाब पेश करने में असमर्थ रहा है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम का निर्णय पूर्णरूप से एक तरफा है तथा निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो अपीलार्थी की पोश मशीन के विवरण को देखा और ना ही अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की जांच कराई गई, जबकि उचित मूल्य दुकान पर शेष रहा माल उपलब्ध था तथा आज भी मौजूद है। अपीलार्थी के विरूद्व किसी भी राशनकार्डधारी उपभोक्ता की ना तो कोई शिकायत है और ना ही अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ की कालाबाजारी की गई है। दिनांक 18.07.2022 को अपीलार्थी द्वारा जुलाई 2022 में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थो का वितरण ना करने का आरोप है जबकि दिनांक 18.07.2022 से 31.07.2022 तक का समय अपीलार्थी के पास खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण करने का मौजूद था। इससे स्पष्ट है कि जुलाई माह मे अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री वितरण ना करने का अरोप पूर्णतया अवैद्य एवं मनमाना है। अपीलार्थी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ण रूप से गलत व बे बुनियाद तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाई है तथा एफ आई आर दर्ज होने मात्र से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे न्यायिक दृटान्त 1991 (2) ई एफ आर पेज 214 छोटेलाल प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ए आई आर 2018 इलाहाबाद पेज 115 बजरंगी तिवारी बनाम कमिश्नर देवी पाटन मण्डल गोण्डा व अन्य व एआईआर 2014 पटना पेज 113 उमेश राम बनाम दी स्टेट ऑफ बिहार व अन्य अवलोनार्थ प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 18.07.2022 व 16.08.2022 को जो नोटिस अपीलार्थी को जारी किये गये उक्त दोनों नोटिसों में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने और प्रतिभूति राशि जब्त करने का उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में एआईआर 202 पटना 146 सचितानन्द राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार व एआईआर 2020 पटना 1523 यदुनन्दन पासवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 10.10.2022 को पारित एकतरफा निर्णय की कोई प्रति अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 8.12.2022 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपील एक माह में प्रस्तुत है। अपीलार्थी को अपील पेश करने में जो अवधि की दूरी हुई है न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर विवादउट एनी रिजनेबल एण्ड प्रोविबल कॉज अपीलार्थी के विरूद्व पारित किया है जो पूर्णरूप से आरबीट्रेरी अनरिजनेबल एवं कैपरिसियस है। अतः विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा आक्षेपित निर्णय व

जिला कलक्टर
जयपुर

आदेश दिनांक 10.10.2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

4. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी कोई जबाब पेश नहीं किया । अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का अपयोजन/गबन किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुसार प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व एफ आई आर दर्ज करा कर उसकी समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी पर जुलाई माह में राशन सामग्री वितरण नहीं किये जाने का आरोप है और जुलाई माह खुर्दबुर्द किये जाने का आरोप है। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि राशन सामग्री अभी भी मौजूद है। निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ दो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर की कोई फर्द मौका जांच रिपोर्ट नहीं है। दिनांक 01.08.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ भी दो कोई फर्द मौका रिपोर्ट नहीं है । इससे अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। अपीलार्थी ने अभी तक दुकान पर राशन सामग्री रखी होना बताया है यह भी जांच का विषय है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है ।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मामले में डीलर के पास मौजूद स्टॉक के रिकार्ड की नियमानुसार दो स्वतंत्र गवाहान की मौजदूगी में जांच करा कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर